रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 600] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 1989/आश्विन 3, 1911
No. 600] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 1989/ASVINA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1989

का.आ. 752 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के आदेश सं. का.आ 552 (अ) तारीख 19 जुलाई, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि

नई चावल मिलों की स्थापना के लिए या निष्क्रिय चावल मिलों में धान कुटाई संक्रिया पुनः प्रारंभ करने के लिए अनुज्ञा पत्र देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग, तमिल नाडु राज्य में, उस राज्य के नागरिक पूर्ति आयुक्त द्वारा किए जाने के बजाय सचिव, तमिलनाडु सरकार के सहकारिता खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। उक्त शक्ति के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु राज्य में स्थित चावल मिलों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन शक्तियों को उस राज्य के संबंध में सचिव, तमिलनाडु सरकार के सहकारिता खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रत्यायोजित करती है।

2. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी चावल मिल की स्थिति का अभिनिश्चय करने या उसके कार्यकरण की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए अथवा उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उल्लिखित किसी अन्य प्रयोजन के लिए सचिव, तमिलनाडु सरकार के सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उक्त राज्य के संबंध में प्राधिकृत करती है ।

[सं. 15(टी एन)/12/88/डी एण्ड आर/आर एम[

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRY

ORDER

New Delhi, the 25th September, 1989

S.O. 752 (E).—In exeriise of the powers conferred by section 19 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Food Processing Industries No. S. O. 552 (E), dated the 19th July, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the powers exercisable under section 5 of the said Act to grant permits for the establishment of new rice mills or for recommencing rice milling operations in defunct rice mills shall, in the State of Tamil Nadu, be exercisable by the Secretary to the Government of Tamil Nadu, Cooperation, Food and Consumer Protection Department instead of Commissioner of Civil Supplies of that State. In exercise of the said power the Central Govt. hereby delegates to the Secretary to the Govt. of Tamil Nadu, Coopepration, Food and Consumer Protection Department in respect of that State the powers under clauses (c) and (d) of sub-section (3) of section 8 of the said Act, in relation to the rice mills situated in the State of Tamil Nadu.

2. In exercise of the powers conferred by section 9 of the said Act the Central Govt. hereby authorises, for the purposes of as certaining the position or examining the working of any rice mill or for any other purpose mentioned in the said Act or the rules made thereunder, the Secy. to the Govt. of T. N. Cooperation, Food and Consumer Protection Deptt. instead of Commissioner of Civil Supplies, of the State of T. N., in respect of the said State.

[No. 15 (TN) |12|88-D&R|RM]

SATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989